

राजस्थान सरकार
खान एवं पेट्रोलियम विभाग

क्रमांक: प.1(4)खान/गुप-1/2023

जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम 23 के अन्तर्गत अतिरिक्त निदेशक(खान) के पद की वर्ष 2015-16 की विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरावलोकन बैठक दिनांक 15.02.2024 की अभिशंषा के आधार पर निम्नांकित अधीक्षण खनि अभियंता को उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्त वर्ष के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर अतिरिक्त निदेशक(खान) के पद पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	श्रेणी	पदोन्नति वर्ष	पदरिक्त दिनांक	वि.वि.
1.	श्री दीपक तंवर	अनारक्षित	2015-16	01.01.2016	-
2.	श्री अब्दुल लतीफ शेख	अनारक्षित	2015-16	01.01.2016	सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2018

उपरोक्त पुनरावलोकन के परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 में अनारक्षित श्रेणी में चयनित श्री दीपक तंवर का चयन एतद्वारा विलोपित किया जाता है।

क्रम संख्या-1 पर अंकित श्री दीपक तंवर को उक्त पदोन्नत पद का वित्तीय लाभ कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95पार्ट दिनांक 16.03.2023 के अनुसार देय होगा।

नोट:- उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद यदि कोई हो के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(नीतू बारूपाल)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
7. निजी पत्रावली।
8. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Res
5786037

Document certified by NEETU
BARUPAL <nbarupal@gmail.com>
Digitally Signed by Neetu Barupal
Designation: Joint Secretary To
Government
Date :23-02-2024 05:42:13